Print Date:-25/Aug/2026 12:09 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Manoj Chandra Misra
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 25-08-2026 12:10:01

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026-2027)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26080130022

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 25-AUG-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**07**	निराश्रित पशुओ एवम गौ सदनों हेतु आश्रय निर्माण
00	-		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	7	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	3306581	10546000	0	13852581
	योग	3306581	10546000	0	13852581

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 1,05,46,000 (Rupees One Crore Five Lacs Forty Six Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2608:0008

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– /IV(2)/2026–05(सा0)12 (82490)

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक अगस्त, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में नगर निगम, हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत सराय स्थित नगर निगम ए0बी0सी0 सेन्टर में डॉग शेल्टर के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–63233, दिनांक 09.05.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निराश्रित श्वान पशुओं की सुरक्षा, देख–भाल एवं कल्याण हेतु नगर निगम, हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत **सराय स्थित नगर निगम ए0बी0सी0 सेन्टर में डॉग शेल्टर के निर्माण कार्य** हेतु नगर निगम, हरिद्वार द्वारा गठित आगणन के जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त संस्तुत धनराशि **रू0 175.76 लाख** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में **कुल रू0 105.46 लाख (रूपये एक करोड़ पांच लाख छियालीस हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त धनराशि **कुल रू0 105.46 लाख (रूपये एक करोड़ पांच लाख छियालीस हजार मात्र)** को नगर निगम, हरिद्वार को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/यथा प्रक्रिया अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(5) उक्त निर्मित होने वाले **'डॉग सेल्टर'** के रख–रखाव, सुरक्षा व संचालन का उत्तरदायित्व नगर निगम, हरिद्वार का होगा।

(6) स्वीकृत योजना के सापेक्ष समयावृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

(7) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में नगर निगम, हरिद्वार के सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(8) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(9) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारीगण एवं अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(10) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि/निर्धारित लागत के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(11) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(12) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्ठियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

(13) आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचिलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। जनसुविधार्थ स्वीकृत योजना की कार्यलागत एवं योजना की समयावधि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा।

(15) उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी नगर निगम, हरिद्वार के सम्बन्धित अधिकारी/अभियंता द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे तथा कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में (कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ व एल–1 विवरण सहित) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु यदि बाजार की दरें ली गई हैं, तो विशिष्टयों तथा दरों में परिर्वतन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदो का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(17) योजना में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में हरसम्भव यह प्रयास किया जाय कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय ताकि प्रदेश के अन्तर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सकें। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में उक्त का समावेश किया जाय।

(18) नॉन शैड्यूल मदों की दरों/स्वीकृति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निगम, हरिद्वार का होगा।

(19) स्वीकृत कार्य के सापेक्ष निविदा प्रक्रिया एक माह के अन्तर्गत पूर्ण कर तद्नुसार अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व नगर निगम, हरिद्वार के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी एवं अभियंता का होगा।

(20) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लेंगे अर्थात किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर Parking of Fund नहीं किया जायेगा तथा आगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व नगर निगम, हरिद्वार का होगा।

(21) धनराशि का अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2027 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, एल–1 विवरण, निविदा पूर्ण होने की तिथि, उपयोगिता प्रमाण–पत्र, निर्माणाधीन तथा तत्समय निर्माण स्थिति के जियो टैग फोटाग्राफ्स अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और तद्नुसार अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी। तत्सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निगम के सक्षम अधिकारी का होगा।

2– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक के **अनुदान सं.–13** के लेखाशीर्षक–"4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–07–निराश्रित पशुओं एवम् गौसदनों हेतु आश्रय निर्माण–53–वृहद निर्माण'' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग–2) के अशासकीय संख्याः 422362/2026, दिनांक 12 अगस्त, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 25-08-2026
10:40:52 **(संतोष बडोनी)**
अपर सचिव।

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 25-08-2026
11:34:46

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।